PSUs Functioning without Heads

1000. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether a large number of PSUs are headless and also unable to match NCs remuneration as reported in the financial Express dated 6th September, 1996;

(b) if so, whether Government are finding any difficulty in selecting suitable persons for the PSUs;

(c) whether the remuneration presently paid to the heads of PSUs is also unmatched with the remuneration paid by MNCs; and

(d) if so, the reaction of the Government thereto?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) As per available information, 28 posts of Chief Executives of Public Sector Undertakings were lying vacant as on 31.10.1996. Selection against 22 of these vacant posts has already been made by the Public Enterprises Selection Board.

(c) and (d) Pay scales, DA Formula etc. in respect of board level exectives of the Central PSUs were last revised w.e.f. 1.1.1992 and a Pay Revision Committee has been constituted to recommend the pay structure of PSU executives, to come into effect from 1.1.1997. The Pay Revision Committee would take various relevant factors into consideration while recommending the emolument structure for PSU executives.

Import duty on Indian Flowers by the European Commission

1001. PROF. NAUNIUAL SINGH: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is fact that the European Commission has imposed a duty of 15—20 per cent on Indian floriculture; and

(b) if so, the implications thereof and the steps Government intend to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH): (a) and (b) There is no separate country specific duty regime imposed by the European Union (EU) as the duties are required to be levied on "Most Favoured Nation" (MFN) basis. However, in derogation of MFN duties, EU grants concessional treatment under the Generalised System of Preferences (GSP) to various developing countries. Indian is also one of the beneficiaries for GSP on floriculture which is figuring in the list of very sensitive items/sensitive items and attracts a duty of 70% /85% of the applied MFN rate on exports of floriculture to EU. Under the EU GSP Scheme, exports from Least Developed Countries (LDCs) and some other countries facing special problems enjoy better concessions than India. India has requested European Union for better GSP treatment.

बैलाडिला लौह अयस्क खदानें

1002. **श्री शिव चरण सिंह:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बैलाडिला लौह अयस्क खदानों को एक गैर-सरकारी उद्यमी को पट्टे पर देने के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है?

खाद्य मंत्री तथा भारिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): संयुक्त उद्यम के जरिए बैलाडिला निक्षेप-II बी का विकास करने के लिए नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एन.एम.डी.सी.) को दी गई सरकार की मंजूरी के आधार पर एन.एम.डी.सी. ने 10 जुलाई, 1995 को एन.डी.आई.एल. के साथ एक संयुक्त उद्यम करार पर हस्ताक्षर किए और 31 जुलाई, 1995 को बैलाडिला मिनरल डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (बी.एम.डी.सी.) नामक एक नई संयुक्त उद्यम कम्पनी निगमित की गई। इसके अतिरिक्त एन.एम.डी.सी. ने निक्षेप II-बी के खनन पट्टे का हस्तान्तरण संयुक्त उद्यम कम्पनी के पक्ष में करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को अपना आवेदन प्रस्तुत किया था।

मध्य प्रदेश सरकार ने अपने 6-1-1996 के पत्र के तहत इस प्रस्ताव की सिफारिश की थी और एम. एम. आर. डी. अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत केन्द्र सरकार की यथा अपेक्षित पूर्व मंजूरी खान मंत्रालय से मांगी थी। राज्य सरकार ने कतिपय शर्तें जैसे संयुक्त उद्यम कम्पनी के साम्या में 20 प्रतिशत तक की राज्य सरकार की भागीदारी, नई संयुक्त उद्यम कम्पनी द्वारा मध्य प्रदेश प्राथमिक रूप से बस्तर जिले में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करना, राज्य विशेष रूप से बस्तर जिले से श्रमशक्ति की भर्ती करना, संयुक्त उद्यम कम्पनी द्वारा इस क्षेत्र में

स्कूल/अस्पताल स्थापित करना आदि शामिल करने का प्रस्ताव भी किया है। खान मंत्रालय ने एम.एम.आर.डी. अधिनियम, 1957 और खनिज रियायत नियम, 1960 के प्रावधानों के अनुपालन की शर्त पर और इस शर्त पर कि राज्य सरकार प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कम्पनी अर्थात बैलाडिला मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड और एन.एम.डी.सी. इन शर्तों पर एकमत हों हस्तान्तरण के लिए शर्तों पर सहमत हों और एक अनुबंध करें या अन्य कोई उचित वैधानिक कार्रवाई में उन्हें शामिल करें, के अनुपालन की शर्त पर उस प्रस्ताव को 21 मार्च, 96 को मंजूरी दे दी थी।

खान मंत्रालय ने अपने दिनांक 13.6.1996 के पत्र के तहत मध्य प्रदेश सरकार से यह सूचित करने का अनुरोध किया था कि क्या एन.एम.डी.सी. ने खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 27(3) के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित शर्तों के संबंध में अपनी स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने दिनांक 19.6.96 और 3.8.96 के पत्रों के तहत इस्पात मंत्रालय से यह अनुरोध किया है कि वह राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित शर्तों पर अपनी स्वीकृति देने के संबंध में एन.एम.डी.सी. को सलाह दे।

संसद सदस्य श्री गुरुदास दास गुप्ता और श्री जीवन राय ने लौह अयस्क खान II-बी के खनन पट्टे का हस्तान्तरण संयुक्त उद्यम कम्पनी के पक्ष में करने के बारे में स्थगन आदेश देने के लिए माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा अधिकारिता के आधार पर रिट याचिका 10.5.1996 को खारिज कर दी गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा 3 सप्ताह का अन्तरिम स्थगन दिया गया था जिसके लिए बाद में उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि अन्तरिम स्थगन तब तक निलंबित रहेगा जब तक कि अन्तरिम स्थगन के विरुद्ध संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा की गई अपील और मूल रिट याचिका खारिज करने के आदेश के विरुद्ध श्री गुरुदास दास गुप्ता और श्री जीवन राय द्वारा की गई अपील का निपटान नहीं हो जाता। ये अपीलें नियमित बेंच के समक्ष प्रस्तुत की जानी हैं।

बैलाडिला निक्षेप-II बी के हस्तान्तरण के विरुद्ध जुलाई, 1996 में दिल्ली उच्च न्यायालय में भी एक जनहित मुकदमा दायर किया गया है। मामले को अंतिम बहस के लिए दिनांक 13.1.1997 तक स्थगित कर दिया गया है।

सरकार का ये मानना है कि यह महत्वपूर्ण विषय है और इसकी विभिन्न पहलुओं से विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है। तथापि, चूंकि यह मामला न्यायालयों में लंबित है, अतः सरकार न्यायिक अधिमत की प्रतीक्षा करेगी।

गेहूँ और चावल के निर्यात हेतु किए गये समझौते

1003. **श्री अजीत जोगी:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष विभिन्न देशों को गेहूँ और चावल के निर्यात हेतु कितने समझौते किये गये हैं;

(ख) उक्त दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक देश को कुल कितनी मात्रा में गेहूँ और चावल का निर्यात किया गया; और

(ग) आगामी वर्षों के दौरान चावल और गेहूँ का निर्यात बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) तथा (ख) गत दो वर्षों के दौरान निर्यातित गेहूँ और चावल की मात्रा तथा मूल्य निम्नानुसार हैं:-

मात्रा : मी॰ टन में

(मूल्य :.करोड. रू॰ में)

वस्तु	1994-95		1995-96		1996-97 (अप्रैल-सितम्बर, 96)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
चावल (बासमती)	468696	857.76	392258	851.16	249043	554.16
चावल (गैर-बासमती)	422727	323.45	5120343	3701.85	1108766	1051.67
गेहूँ	58206	30.85	617211	360.90	1078653	668.99

(स्रोत: डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता)